

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा)

पत्रांक 253 / दो-14-1 / 2024-25

दिनांक: चौबटिया: मई, 10 / 2024

- 1- अपर निदेशक, उद्यान, मुख्यालय / देहरादून।
- 2- संयुक्त निदेशक मुख्यालय / संयुक्त निदेशक राजकीय उद्यान सर्किट हाउस देहरादून।
- 3- संयुक्त निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण कुमायूं मण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- उपनिदेशक, नियोजन मुख्यालय।
- 5- उपनिदेशक सांख्यिकीय मुख्यालय।
- 6- उपनिदेशक, खाद्य प्रसंस्करण मुख्यालय।
- 7- उपनिदेशक, स्थापना राजकीय उद्यान सर्किट हाउस देहरादून।
- 8- मुख्य उद्यान अधिकारी,
अल्मोड़ा / नैनीताल / पिथौरागढ़ / ऊधमसिंहनगर / देहरादून / उत्तरकाशी / चमोली / हरिद्वार
- 9- मुख्य मशरूम विकास अधिकारी, ज्योलीकोट-नैनीताल / देहरादून।
- 10- जिला उद्यान अधिकारी,
बागेश्वर / चम्पावत / टिहरी / पौड़ी / रूद्रप्रयाग।
- 11- आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी,
मुनस्यारी / ऊधमसिंहनगर / नैनीताल / अल्मोड़ा / उत्तरकाशी / देहरादून / टिहरी / चमोली।
- 12- उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार।
- 13- पौधशाला विकास अधिकारी,
रूद्रपुर / सौनी / ढकरानी / जरमोला / विषाढ़ / मगरा / कुम्भीचौड़ / परसारी।
- 14- सब्जी विशेषज्ञ, मुख्यालय।
- 15- सांख्यिकीय अधिकारी मुख्यालय।
- 16- अधीक्षक, रामगढ़।

विषय:- वार्षिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि शासन के पत्र संख्या-201649/ई-पत्रा0 सं0-25478 / XIII-1 / 2024 दिनांक 26.03.2024 के संलग्नक कार्मिक अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-198739 / XXX(2) / E-33080 दिनांक 14.03.2024 के आलोक में वार्षिक स्थापनान्तरण अधिनियम 2017 तथा कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30 दिनांक 06.02.2018 में निहित व्यवस्था के आलोक में वर्ष 2024-25 में स्थानान्तरण अधिनियम में निहित निर्देशों का पालन किया जाना है।

इसी क्रम में यह अवगत करना है कि स्थानान्तरण अधिनियम में सुसंगत प्राविधानों एवं तद्सम्बन्धी शासनादेशों के आलोक में श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 में कार्यरत अधिकारियों के सम्बन्ध में **सुगम से दुर्गम तथा दुर्गम से सुगम क्षेत्र** में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु विभिन्न सम्वर्गों के पात्र कार्मिकों का विवरण, चिन्हांकन एवं रिक्त पदों की सूची विभागीय वैबसाईट shm.uk.gov.in पर पदर्शित की जा चुकी है।

अतः इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि आप स्वयं एवं आपके अधीन यदि किसी अधिकारी को अपने सेवा सम्बन्धी अभिलेखों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/संशोधन दर्ज कराना हो तो पूर्ण अभिलेख साक्ष्यों सहित एवं अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र अधिकारी 10 इच्छित स्थानों के विकल्प प्रत्येक दशा में दिनांक 15.05.2024 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद कोई आपत्ति/संशोधन मान्य नहीं होगा। उक्त के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 13, 14, 17 (1) (ख) के प्राविधानों के अनुरूप अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहने हेतु 10 इच्छित स्थानों हेतु विकल्प/आवेदन प्रत्येक दशा में दिनांक 15.05.2024 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड